

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, मंगलवार, शाके 1947- नवम्बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2025

जी.एस.आर.94 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित के सिवाय ये 01.09.2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में-

(1) अनुसूची-II के अनुभाग- 'क' में, शीर्ष **"राजस्थान लोक सेवा आयोग"** के अधीन क्रम संख्यांक 1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	अन्वेषक (सहायक सांख्यिकी अधिकारी)	पीबी-2	9300-34800	11	3600	एल-11	

(2) अनुसूची-II के अनुभाग- 'क' में शीर्ष **"कारागार विभाग- (ii) राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा- 'सामान्य' "**, के अधीन क्रम संख्यांक 2 पर विद्यमान प्रविष्टि दिनांक 04.06.2019 से हटायी जायेगी।

(3) अनुसूची-II के अनुभाग 'ख' में शीर्ष **"(i) शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त सचिवालय (अनुभाग 'क' एवं 'ग' में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित से भिन्न) को छोड़कर विभिन्न विभागों में सामान्य पद"** के अधीन, क्रम संख्यांक 1 और 1ख पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	विद्यमान ग्रेड वेतन रुपये 1700 में के समस्त पद उदाहरणार्थ वार्ड बॉय, हैल्पर, बेलदार आदि।	पीबी-1	5200-20200	2	1700	एल-1	
1ख	जमादार, दफ्तरी, रिकॉर्ड	पीबी-1	5200-20200	2	1700	एल-3	

	लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(4) अनुसूची-II के अनुभाग 'ख' में, शीर्ष "(ii) शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल सचिवालय, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, (अनुभाग 'क' और 'ग' में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित से भिन्न) में के सामान्य पद" के अधीन, क्रम संख्यांक 1 और 1ख पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
1	विद्यमान ग्रेड वेतन रुपये 1700 में के समस्त पद उदाहरणार्थ वार्ड बॉय, हेल्पर, बेलदार आदि।	पीबी-1	5200-20200	2	1700	एल-1	
1ख	जमादार, दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय	पीबी-1	5200-20200	2	1700	एल-3	

[सं.एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट-IV]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन जैन,

शासन सचिव, वित्त (बजट)।

**FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, September 12, 2025**

G.S.R.94 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from 01.09.2024 except as otherwise specifically mentioned.

2. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 -

(1) In Section-'A' of Schedule-II, under heading "**RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION**", the existing entry at S.No.1 shall be substituted by the following, namely: -

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investigator (Assistant Statistical Officer)	PB-2	9300-34800	11	3600	L-11	

(2) In Section-'A' of Schedule-II, under heading "**JAIL DEPARTMENT - (ii) Rajasthan Jail Subordinate Service - 'General'**", the existing entry at S.No.2 shall be Deleted w.e.f. 04.06.2019.

(3) In Section-'B' of Schedule-II, under heading "**(i) Common posts in various departments excluding Government Secretariat, Governor's Secretariat, Rajasthan High Court, Rajasthan Public Service Commission & Lokayukta Sachivalaya (Other than those specifically mentioned in Section 'A' & 'C').**", the existing entry at S.No. 1 & 1B shall be substituted by the following namely:

1	2	3	4	5	6	7	8
1	All posts in existing Grade Pay Rs. 1700 eg. Ward Boy, Helper, Beldar etc.	PB-1	5200-20200	2	1700	L-1	
1B	Jamadar, Daftri, Record Lifter, Laboratory Boy	PB-1	5200-20200	2	1700	L-3	

(4) In Section-'B' of Schedule-II, under heading "**(ii) Common posts in Government Secretariat, Rajasthan Public Service Commission, Governor's Secretariat, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan High Court (Other than those specifically mentioned in Section 'A' & 'C').**", the existing entry at S.No. 1 & 1B shall be substituted by the following namely:

1	2	3	4	5	6	7	8
1	All posts in existing Grade Pay Rs. 1700 eg. Ward Boy, Helper, Beldar etc.	PB-1	5200-20200	2	1700	L-1	
1B	Jamadar, Daftri, Record Lifter, Laboratory Boy	PB-1	5200-20200	2	1700	L-3	

[No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Part-IV]

By order of the Governor,

Naveen Jain,
Secretary to the Government,
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.